राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नः0141–2228060–61,फैक्स नः0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website :rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/टोनर रिफिलिंग/2026–27/1296 दिनांकः 29/09/2026

खुली निविदा सूचना

राजस्थान मेड़िकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर कार्यालय में स्थापित प्रिन्टर के टोनर रिफिलिंग संबंधित कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.सं.	सामग्री	अनुमानित मूल्य (रू.)	बोली प्रतिभूति (Bid security) (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
1.	Toner Refilling	5,00,000.00	18,000.00	590.00 (Including 18% GST)
2.	Consumable Items	4,00,000.00		
	Total	**9,00,000.00**		

निविदा प्रपत्र सीधे ही निगम की वेब साईट http://rmsc.health.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर, निविदा प्रपत्र के शुल्क की राशि रू. 590/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रू. 18,000/– का डी.डी./निगम के बैंक खाते में जमा करायी जाकर जमा की रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर **दिनांक 06.10.2026 को अपराह्न 3.00** बजे तक जमा कराए जा सकते है। प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष **दिनांक 07.10.2026 को सायं 4.00** बजे खोला जाएगा।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
आरएमएससी

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation: Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन न:0141–2228060–61,फैक्स न:0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website :rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/टोनर रिफिलिंग/2026–27/1296 दिनांक: 29/09/2026

प्रपत्र 'ब'

वित्तीय निविदा

रिफिलिंग कार्य हेतु प्रिन्टर टोनर मॉडल

S.No.	Equipment Model No-	Cartrage No	Price In Rs.		
			Refilling	GST	Total
1	Brother MFC L-5900dw	TN 3428			
2	Canon Imase Class MF3010	925			
3	HP 1160	49-A			
4	HP CP1025	CE310A, 311A, 312A, 313A			
5	HP Laser Jet P1606dn	278-A			
6	HP Laserjet 1536dn	78-A			
7	HP M1213NF Fax	88-A			
8	HP P-2050 & P-2055DN	05-A			
9	Samsung ML-1640	83-A			
10	Samsung ML3310ND	203-S			
11	Samsung SCX-3401	MLT-D101S			
12	Samsung SCX-4720FN	4720D3			
13	Konica Minolta Pagepro 1500W	28-S			
14	Samsung ML3320ND	205-S			
15	Samsung ML2876ND	—			
16	Canon Imageclass MF631cn	1243C002 1244C002 1245C002 1246C002			
17	HP M329dw	—			
18	HP Epson M3170	—			

नोटः– उक्त दर्शाए गये समस्त रिफिलिंग की दरों में न्यूनतम रही एक ही फर्म को कार्य दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कन्ज्यूमेबल आईटम की दरें पृथक से प्रस्तुत करनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation [illegible]Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

<u>टोनर रिफिलिंग कार्य में उपयोग में लिये जाने वाले निम्न कन्ज्यूमेबल आईटम की दरें पृथक से प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें।</u>

S.No.	Equipment Model No-	Cartrage No	Price (in A) Excluding GST					
			Drum	Blade	Chip	PCR	Magnet Roll	Other
1	Brother MFC L-5900dw	TN 3428						
2	Canon Imase Class MF3010	925						
3	HP 1160	49-A						
4	HP CP1025	CE310A, 311A, 312A, 313A						
5	HP Laser Jet P1606dn	278-A						
6	HP Laserjet 1536dn	78-A						
7	HP M1213NF Fax	88-A						
8	HP P-2050 & P-2055DN	05-A						
9	Samsung ML-1640	83-A						
10	Samsung ML3310ND	203-S						
11	Samsung SCX-3401	MLT-D101S						
12	Samsung SCX-4720FN	4720D3						
13	Konica Minolta Pagepro 1500W	28-S						
14	Samsung ML3320ND	205-S						
15	Samsung ML2876ND	—						
16	Canon Imageclass MF631cn	1243C002 1244C002 1245C002 1246C002						
17	HP M329dw	—						
18	HP Epson M3170	—						
GST Extra								

नोटः– उक्त दरें युक्तियुक्त नहीं पाये जाने पर नेगोशियेशन कराये जाने का अधिकार निगम का होगा।

<u>निविदा के साथ निम्न दस्तावेज अवश्य संलग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>

1. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. पेन नम्बर।
3. बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
4. फर्म के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र।
5. फर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता मय फोन नम्बर।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by R ndra Gora
Designation Seni pecialist
Date: 2026.0 .05:00 IST
Reason: Appro

RajKaj Ref No.: 24757265
M e-Sign

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नः0141–2228060–61,फैक्स नः0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website :rmsc.health.rajasthan.gov.in

कार्यालय प्रिन्टर टोनर रिफिलिंग कार्य हेतु खुली निविदा प्रपत्र

1. आरएमएससीएल मुख्यालय पर प्रिन्टर टोनर रिफिलिंग कार्य के लिए खुली निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित ....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....
4. किसको संबोधित किया जाना है – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
5. निविदा सूचना संदर्भ एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/प्रिन्टर/टोनर रीफिलिंग/2026–27/.................. दिनांक ....
6. निविदा प्रपत्र के साथ GST पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
7. हम, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तों से तथा RTPP Act., 2012 व RTPP Rule, 2013 में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid

Digitally signed by R...ndra Gora
Designation ...Seni... Specialist
Date: 2026.0...:05:00 IST
Reason: Appro...

कार्यालय प्रिन्टर टोनर रिफिलिंग कार्य हेतु खुली निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 की शर्तें व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की शर्तें इस निविदा का भाग मानी जाएगी। रीफिलिंग कार्य आर.एम.एस.सी. जयपुर मुख्यालय पर किया जाएगा तथा अन्य जगह के लिये अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार भी कार्य करवाया जा सकता है।
2. मूल निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में कार्यालय प्रिन्टर टोनर रिफिलिंग कार्य हेतु निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। निगम के प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिस पर **प्रिण्टर रीफिलिंग कार्य** के लिए निविदा अंकित होना चाहिए।
4. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों (जो कि वर्तमान में लागू GST प्रावधान के अन्तर्गत तैयार किए गए हो) का भुगतान निगम द्वारा रीफिलिंग कार्य संतोषप्रद होने की पुष्टि संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। निगम द्वारा फर्म को भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निविदादाता को अपने बैंक खाते का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
5. **निविदा मूल्यांकन का आधार**– जिस निविदादाता की दरें अधिक मदों (60 प्रतिशत से अधिक) में न्यूनतम आएगी, उसको अन्य कम मदों में न्यूनतम दरदाता की दरों से दर मिलान हेतु बुलाया जाएगा।
6. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, एवं निगम में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
7. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) अथवा (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का औसत टर्न ऑवर 6.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करे। टर्न–ओवर संबंधित कार्य का होना आवश्यक है।
8. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
9. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉट छॉट व ओवर–राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉट छॉट/ओवर–राईटिंग होने पर निविदा रद्द की जा सकेगी।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर को होगा।

Signature valid
Digitally signed by R ndra Gora
Designation Seni Specialist
Date: 2026.0 :05:00 IST
Reason: Appro

RajKaj Ref No.: 24757265
M e-Sign

11. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार परिसमापित नुकसानी (LD) राशि वसूल की जाएगी।

12. **निगम द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के उपरान्त उसी दिन रिफिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।**

13. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी द्वारा तीन वर्षो (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में से किसी एक वर्ष के लिये कम से कम राशि रू. 5.00 लाख तक का किसी राजकीय संस्थान में निरन्तर संतोषजनक किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्यादेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जाएगी।

14. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कार्टेज रीफिलिंग कार्य करने मे असंफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य क्रय अन्य फर्म से करा कर सकेंगे।

15. समस्त निविदा प्रपत्र **दिनांक 06.10.2026 को 3.00 बजे** तक प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी जयपुर के कार्यालय गाँधी ब्लॉक (डी ब्लॉक), स्वास्थ्य भवन, जयपुर में प्राप्त किए जाकर **दिनांक 07.10.2026 को सांय 4.00** बजे खोले जाएँगें। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार –** बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

   (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

   (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

   (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

17. **सत्यनिष्ठा संहिता –** उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

   (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

Signature valid

Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation: Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

18. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation [illegible]Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

19. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख

Signature valid
Digitally signed by R...ndra Gora
Designation ...Seni... Specialist
Date: 2026.0... ...:05:00 IST
Reason: Appro...

शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 **अपील:—**

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–स)** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने

Signature valid
Digitally signed by R... ndra Gora
Designation ... Seni... Specialist
Date: 2026.0... .05:00 IST
Reason: Appro...

वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।
परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

20. अपील का प्रारूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप **(प्रपत्र –'स')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation [illegible] Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

21. अपील फाइल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

22. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

23. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अवधि में निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके लिए Price fall clause प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'द'** भी संलग्न करना होगा।

24. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार लागू होगी।

25. प्रपत्र "द" के अनुसार चैक लिस्ट में दर्शाये गये क्रमानुसार एवं मांगे गये दस्तावेज ही संलग्न कर प्रस्तुत कराना अनिवार्य है इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation: Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

26. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर शहर (राजस्थान) होगा।

27. निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभूति जमा कराये जाने के लिये निगम के बैंक खाते का विवरण निम्न प्रकार है:–

Bank Name	Account Number	IFSC Code
Bank of Maharshtra	60460019022	MAHB0000389

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
आरएमएससी

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by R ndra Gora
Designation Seni Specialist
Date: 2026.0 9 :05:00 IST
Reason: Appro

प्रपत्र – 'स'

Fall clause प्रमाण–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन पर **प्रिण्टर रीफिलिंग कार्य** की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को **प्रिण्टर रीफिलिंग कार्य** की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही निगम से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation: Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

प्रपत्र – 'द'

CHECK LIST			
NAME OF TENDER – Printer Toner Refilling			
S No.	**M/s**		
	Particular	**Document (Yes/No)**	**Page No.**
1	**Tender Fees**		
2	**Bid Security**		
3	**GST Registration -**		
4	**MSME Status**		
5	**PAN No.**		
6	**Aadhar No.**		
7	**Director/Proprieter/Partner Name**		
8	प्रपत्र "अ" निविदा प्रपत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है		
9	प्रपत्र "ब" वित्तीय नविदा प्रपत्र पृथक लिफाफे में प्रस्तुत है।		
10	प्रपत्र "स" Fall clause प्रमाण पत्र संलग्न है		
11	आवेदक का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय/ शाखा का पूर्ण पत्ता, दूरभाष नम्बर की सूची संलग्न है अथवा नही तथा फर्म के अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता संलग्न है		
12	प्रपत्र "द" चैक लिस्ट संलग्न है		
13	प्रपत्र "य" टर्न ओवर प्रमाण पत्र (मय सीए से प्रमाणीत) संलग्न है।		
14	प्रपत्र "र" अपील प्रारूप संलग्न है।		
15	आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है।		
16	अनुभव प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्यादेश की प्रति		

नोट :– उपरोक्तानुसार चैक लिस्ट में चाहे गये दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का दस्तावेज मान्य नहीं होगा। यदि फर्म द्वारा किसी भी प्रकार अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न किया जाता है तो उसकी निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation [illegible]Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]

प्रपत्र –'य'

<u>वार्षिक टर्न–ओवर प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ....का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू. लाखों में)
1	2022–23	
2	2023–24	
3	2024–25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

अथवा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू लाखों में)
1	2023–24	
2	2024–25	
3	2025–26	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

Signature valid
Digitally signed by R ndra Gora
Designation Seni Specialist
Date: 2026.0 :05:00 IST
Reason: Appro

प्रपत्र 'ए'

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.............of..................

Before the............................ (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (endose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

Place.................................. Date

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by R[illegible]ndra Gora
Designation: Seni[illegible] Specialist
Date: 2026.0[illegible] [illegible]:05:00 IST
Reason: Appro[illegible]